संख्या–3323/31–2014–65/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/नोडल अधिकारीगण,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 2014

विषय– फील्ड इन्सपैक्शन वेबसाइट पर प्रगति फीड करने से सम्बन्धित पाई गई प्रमुख कमियां।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सन्दर्भ में, इस विभाग के पत्र संख्या–2410/31–2014–65/2013 –टी0सी0, दिनांक 26.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि वेबसाइट http://fieldinspections.up.nic.in के माध्यम से सभी नोडल अधिकारीगण, जिलाधिकारीगण, प्रमुख सचिव/सचिवगण आदि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण से सम्बन्धित सभी कार्य कराना सुनिश्चित करेगें। इसी के साथ निरीक्षण से सम्बन्धित अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों व सहायकों को इस वेबसाइट का प्रशिक्षण देते हुए, उनसे अपेक्षा कि गई थी कि निरीक्षण आख्या फीड कराने के साथ ही साथ, जिलाधिकारी व प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, निरीक्षण व समीक्षा में पाई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों का अनुपालन वेबसाइट के माध्यम से वेबसाइट के निर्धारित स्थान पर फीड कराना सुनिश्चित करेंगें ।

2– फील्ड इन्सपैक्शन वेबसाइट की माह सितम्बर, 2014 का शासन स्तर पर अवलोकन करने पर पाया गया कि जहॉ कुछ नोडल अधिकारियों द्वारा वेबसाइट माध्यम से अनुपालन आख्या भेजने व फीड कराने में अत्यन्त रूचि लेते हुए निर्धारित स्तम्भों में नोडल विभागवार आख्याओं को फीड कराया गया है तथा फीड कराये जाने के बाद उसकी प्रशिक्षण में दी गई उचित विधि से एडेटिंग कर अन्तिम रूप देने के बाद सम्बन्धित को अवलोकनार्थ व कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है, वहीं कुछ नोडल अधिकारियों द्वारा वांछित रूचि वेबसाइट पर सूचना फीड कराने में नहीं प्रदर्शित हुई है।

3– माह सितम्बर, 2014 में वेबसाइट पर फीड कराए गए अनुपालन आख्या के अवलोकन करने पर समान्य रुप से प्रमुख पाई गई कमियां निम्न प्रकार प्रदर्शित हुई है :–

(क) माह सितम्बर, 2014 में बहुत कम नोडल अधिकारियों द्वारा वेबसाइट के माध्यम से अनुपालन आख्या फीड कराई गई है एवं उसे रिब्यूव कर उससे भी कम नोडल अधिकारियों द्वारा आख्या को अन्तिम रूप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि अनुपालन आख्या फीड कराने के साथ ही साथ उसे एडटिंग/अन्तिम रूप देते हुए रिब्यूव पर सबमिट करने के बाद ही (जैसा प्रशिक्षण में बतलाया गया था), फीड कराई गई सूचना सम्बन्धितों को प्रेषित होती है और सम्बन्धित विभाग/जिलाधिकारी उसका अनुपालन वेबसाइट के माध्यम से कर पाएगें । अतः रिब्यूव कर सबमिट करना आवश्यक है ।

(ख) माह सितम्बर, 2014 में कुछ नोडल अधिकारियों द्वारा विभाग का नाम त्रुटिपूर्ण रुप में अथवा गलत स्तम्भ में फीड किया है । फीड कराते समय प्रशासकीय विभागों का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित अथवा दूसरे विभाग के स्तम्भ में न किया जाय, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । अन्यथा भरी गयी सूचना व प्रकरण किसी अन्य विभागों को आटो प्रेषित हो जाने का भय रहता है । अतः प्रकरण से सम्बन्धित नोडल विभाग के स्तम्भ में ही फीड कराया जाना चाहिए।

(ग) वेबसाइट में फीड कराते समय फॉट साइज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है जिससे शासन स्तर पर उच्च स्तर के अधिकारियों के सम्मुख गलत फॉट में सूचना प्रदर्शित हो रही है। कृपया प्रत्येक दशा में फॉट साइज 8 या 10 ही होनी चाहिए।

(घ) जिलाधिकारियों द्वारा नोडल अधिकारी के द्वारा फीड कराई गई सूचना पर अनुपालन वेबसाइट के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। समस्त जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि जनपद से सम्बन्धित व उनके द्वारा निस्तारित होने वाले प्रकरणों पर पाई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों पर अनुपालन ससमय फीड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(ड) इसी प्रकार सभी प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव से यह अपेक्षा है कि वह इस वेबसाइट को प्रत्येक दिवस अवलोकन कर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करे कि यदि किसी नोडल अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनके विभाग से सम्बन्धित कोई सुझाव एवं कमियों का उल्लेख व अन्य प्रकरण की जानकारी दी गई है, तो यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे, जिससे उच्च स्तर पर वेबसाइट के अनुपालन की स्थिति का अवलोकन करने पर विभाग की छवि प्रभावित न हो।

(च) यदि कतिपय कारणों से जनपदों का भ्रमण कर नोडल अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में त्रुटिपूर्ण रूप में विभाग को प्रेषित कर दिया गया है, तो सम्बन्धित विभाग तत्काल इसकी जानकारी नोडल अधिकारी को दे कर अवगत कराते हुए उसे वेबसाइट पर सही कराना सुनिश्चित करे।

(छ) सभी जनपदों के भ्रमण करने वाले नोडल अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण वेबसाइट के माध्यम से अनुपालन की प्रगति का समय–समय पर अवलोकन करते हुए अनुपालन के विलम्ब हेतु सम्बधित प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व सम्बन्धित जिलाधिकारी को अनुस्मरण भी कराना सुनिश्चित करे, जिससे किए गए निरीक्षण की मूल भावना प्रभावित न हो।

(ज) वर्तमान में इस वेबसाइट के माध्यम से निरीक्षण से सम्बन्धित निरीक्षण आख्याओं का प्रेषण एवं अनुपालन पूर्व प्रचलित व्यवस्था हार्ड कापी के साथ ही साथ भी किए जाने के निर्देश है, किन्तु कुछ ही समय में **शासन की पेपर लैस व्यवस्था के अन्तर्गत हार्ड कापी पर उक्त कार्य न कर मात्र वेबसाइट के माध्यम से ही किए जाने के निर्देश प्रसारित किए जाने की सम्भावना है।**

कृपया इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/नोडल अधिकारियों द्वारा जनपदीय निरीक्षण के बाद उपरोक्त व प्रशिक्षण के समय दिए गए दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

3323

संख्या– (1) /31–2014–65/2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0 आई0 सी0, उ0 प्र0, योजना भवन, लखनऊ ।
4. तकनीकी निदेशक (श्री राशिद हुसैन), एन0 आई0 सी0, उ0 प्र0, नवीन भवन, लखनऊ ।
5. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।